

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

प्रयागराज।

पत्र संख्या:—सीएफओ0/आई-3/2019

दिनांक: जुलाई 13, 2019

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,

रेड ईगल पब्लिक स्कूल,

भिऊरा उतरांव सैदाबाद प्रयागराज।

विषय:— रेड ईगल पब्लिक स्कूल,भिऊरा उतरांव सैदाबाद प्रयागराज में लगी अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं/उपकरणों का कार्यशीलता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।


सन्दर्भ:— आवेदक के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में।

कृपया आवेदक/प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में रेड ईगल पब्लिक स्कूल,भिऊरा उतरांव सैदाबाद प्रयागराज लगी अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं का कार्यशीलता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत भवन में स्थापित जीवन रक्षा,प्रिवेन्शन एवं फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की स्थापना/कियाशीलता का निरीक्षण कराया गया, जिसका विवरण निम्नवत है।

- 1- कालेज भवन तक अग्निशमन के वाहन आ-जा सकते हैं।
- 2- प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)— भारतीय मानक ब्यरो के आई0एस0-2190 के अनुसार कार्यशील दशा में पाये गये।
- 3- भवन मे लगे समस्त अग्निशमन उपकरण कार्यशील दशा में पाये गये।
- 4- फायर स्टेशन का सीयूजी मो0नं0 मुख्य-मुख्य स्थानों पर अंकित किया गया।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओ के आधार पर कार्यशीलता प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है।

- 1- प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये जाने हेतु मेन्टीनेन्स शैड्यूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाये।
- 2- भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जायें।
- 3- किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 4- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जायें।
- 5- प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल करायी जाये।
- 6- वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 7- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।


(आर0एस0मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रयागराज।
प्रयागराज।